



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2017/वैशाख 28, 1939

No. 386]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2017/VAISAKHA 28, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2017

सा.का.नि. 483(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केन्द्रीय सरकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (1961 का 53) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसूति प्रसुविधा (खान एवं सर्कस) नियम, 1963 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख के तीस दिन के बाद विचार किया जाएगा;

आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री एच.एल.मीणा, निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर निर्धारित अवधि के अन्दर किसी व्यक्ति से आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- (1) ये नियम प्रसूति प्रसुविधा (खान एवं सर्कस) संशोधन नियम, 2017 कहे जाएं।
- (2) ये राजपत्र में उनकी अंतिम अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसूति प्रसुविधा (खान एवं सर्कस) नियम, 1963 में नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, नामतः—

“6क. स्थापन के निकट शिशु सदन की सुविधा—पचास या इससे अधिक कर्मचारी रखने वाला प्रत्येक स्थापन मुख्य प्रवेश द्वार से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर, पृथक्तः या सम्मिलित सामान्य सुविधाओं के साथ शिशु सदन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।”

[फा. सं. एस-36012/03/2015-सा.सु.-I]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1642 तारीख 05 अक्टूबर, 1963 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70(अ), तारीख 31 जनवरी, 1996 को किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2017

G.S.R. 483(E).—The following draft of certain rules further to amend the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri H.L.Meena, Director, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the aforesaid period, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Maternity Benefit (Mines and Circus) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their final notification in the Official Gazette.
2. In the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

“6A. Crèche facility to be near establishment.—Every establishment having fifty or more employees shall have the facility of crèche within a distance of five hundred meters from the main entrance of the establishment, either separately or along with common facilities.”

[F. No. S-36012/03/2015-SS-I]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 1642, dated 5th October, 1963 and lastly amended vide notification number G.S.R. 70(E) dated the 31st January, 1996.